रेल दावा अधिकरण
प्रधान पीठ
13/15, माल रोड, दिल्ली - 54

सं रे.दा.अधि/दिल्ली/प्रशा. नीति/2019 दिनांक 14.04.2020

<u>कार्यालयादेश</u>

माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14.04.2020 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में यह घोषणा की है कि लॉकडाउन अवधि को आगे 03.05.2020 तक बढ़ा दिया जाता है।

तद्नुसार सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:-

1. सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए कार्यालय में उपस्थित होने के बजाय घर से ही कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। बहरहाल, ये आदेश भारत सरकार द्वारा जारी आगे अन्य किसी आदेश तथा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होंगे।
   "15.04.2020 से 03.05.2020 की अवधि के दौरान, रेल दावा अधिकरण के सभी अधिकारी/कर्मचारी घर से ही कार्य करेंगे और जब भी शाखा इंचार्ज द्वारा उनकी सेवाओं की आवश्यकता होगी, वे इसके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इस दौरान वे मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे तथा उन्हें बुलाए जाने पर वे बिना किसी चूक के तत्काल ड्यूटी पर रिपोर्ट करेंगे।"
2. लॉकडाउन अवधि के दौरान कोर्ट की कार्यवाही संभव नहीं हो सकेगी। कोर्ट संबंधी सभी कार्य जिसमें नए मामलों को फाईल करना शामिल है, भी नहीं होगा। इसलिए कोर्ट के कार्य घंटों के नुकसान की भरपाई के लिए दिल्ली पीठ की 08.06.2020 से 19.06.2020 तक की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों को एतद्वारा निरस्त किया जाता है। दिल्ली पीठ इस अवधि के दौरान कार्यरत रहेगी। उक्त छुट्टियों को रद्द किये जाने/ न लेने की एवज में सदस्यों के छुट्टी खाते में कोई अर्जित छुट्टी क्रेडिट नहीं की जाएगी।
3. दिल्ली पीठ की बार एसोसिएशन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कोर्ट की कार्यवाही में भाग लेने में अपनी असमर्थता जाहिर की है। बहरहाल, यदि कोई अधिवक्ता वीडियो

कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अपने मामले पर सुनवाई करने का अनुरोध करता/करती है तो उसके अनुरोध पर पीठ द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

4. चूंकि रजिस्ट्री में लॉकडाउन अवधि के दौरान मामलों को दायर करने का कार्य बाधित हुआ है इसलिए सांविधिक रूप से अनुमेय अवधि में मामलों को दायर करने में हुए विलम्ब को माफ कर दिया जाएगा और केस दायर करने में हुए विलम्ब के संबंध में इस अवधि को लेखे में नहीं लिया जाएगा।

इसे माननीय अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त है।

Sd/-

(सारा जयाल साउक्मे)

अपर रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. माननीय अध्यक्ष, रे.दा.अधि. के निजी सचिव
2. माननीय सदस्य (न्यायिक/तकनीकी), रे.दा.अधि. के निजी सहायक
3. रजिस्ट्रार, रे.दा.अधि. के निजी सहायक
4. अपर वित्त सलाहकार, रे.दा.अधि., दिल्ली
5. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, रे.दा.अधि., दिल्ली
6. रे.दा.अधि., दिल्ली के कोर्ट मास्टर
7. रे.दा.अधि., दिल्ली के बार एसोसिएशन के सचिव
8. नोटिस बोर्ड पर लगाने हेतु प्रति
9. रे.दा.अधि., दिल्ली पीठ का स्टाफ